न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00435

ओमप्रकाश पुत्र जमनालाल जाति किराड निवासी भोलू तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
----अपीलान्ट

बनाम

1. जोधराज पुत्र नन्दा जाति किराड ।
2. हीरालाल पुत्र नन्दा जी जाति किराड ।
3. मांगीलाल पुत्र नन्दा जी जाति किराड ।
4. धर्मराज पुत्र नन्दा जी जाति किराड ।
5. अनार सिंह पुत्र नन्दा जी जाति किराड ।
6. छोटू लाल पुत्र नन्दा जी जाति किराड ।
7. मुकेश पुत्र हीरालाल जाति किराड निवासीगण भोलू तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र कुमार नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 31.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम धारूपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता संख्या 180 पुराना 181 की खसरा नम्बर 98 की रकबा 0.87 हैक्टर भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थीगण की आराजी प्रार्थी की आराजी के पास ही लगी हुई है । अप्रार्थीगण के खेत पर जाने का रास्ता प्रार्थी की आराजी से न होकर अन्य स्थान से निकलता है । अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थी के खेत में से निकलने की कोशिश करते हैं तथा वादी द्वारा आपत्ति करने पर अप्रार्थीगण लडाई–झगडा करने पर आमादा रहते हैं । प्रार्थी को

अधिकार है वह अपने हिस्से की आराजी पर अपने शांतिपूर्ण कब्जे काश्त को बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद प्रार्थी को उनके हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहने दें । प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी में कोई नया रास्ता कायम नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.08.2019 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी के लिए पूर्व में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हुई थी इसके बावजूद अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर उक्त आदेश पारित किया है । अपीलान्ट की भूमि में होकर रेस्पोडेन्ट का कभी रास्ता नहीं रहा है तथा रेस्पोडेन्ट की भूमि पर जाने के लिए पृथक से रास्ता बना हुआ है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की भूमि में होकर नया रास्ता कायम करना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश जारी करने पर संतुष्ट हो गया इसके बाद रेस्पोडेन्ट द्वारा एक राय होकर अपीलान्ट की दीवार तोडकर फसल को हॉक दिया जिसकी रिपोर्ट अपीलान्ट द्वारा पुलिस थाने में की गई । इसके बाद अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 03.11.2019 को सम्पर्क किया तो उक्त आदेश की जानकारी हुई जिस पर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि नया खाता संख्या 180 पुराना 181 की रकबा 0.87 हैक्टर आराजी ग्राम धारूपुरा तहसील रामगंजमण्डी में स्थित है जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । रेस्पोडेन्ट की आराजी अपीलान्ट की आराजी से लगी हुई है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की आराजी से रास्ता कायम करने के प्रयास में है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया

गया है । पूर्व में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी जो खारिज की गई है । रेस्पोडेन्ट के लिए पृथक से रास्ता बना हुआ है । अपीलान्ट की आराजी में से होकर उनका कोई रास्ता नहीं है । रेस्पोडेन्ट ने जबरन अपीलान्ट की आराजी पर रास्ता कायम कर लिया तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई थी । मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि खसरा नम्बर 102 एवं 106 पर पहुंचने का सबसे सुगम रास्ता यही है जो खसरा नम्बर 96, 97 और 98 की सीमा से होकर जाता है एवं खसरा नम्बर 96 में अतिक्रमण किया हुआ है । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के रास्ते में आने–जाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जवाब प्रार्थना पत्र भी परीक्षण न्यायालय में पेश किया गया है जिसमें यह अंकित है कि 30–40 वर्षों से इसी रास्ते का प्रयोग किया जा रहा है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया और यह कथन किया कि खसरा नम्बर 98 रकबा 0.87 हैक्टर आराजी उनके खाते एवं कब्जे की है और अप्रार्थी अपने खेत पर जाने का रास्ता प्रार्थी के खेत में से निकालना चाहते हैं। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है और यह कथन किया कि प्रार्थी की आराजियात की मेड पर होकर कदीमी रास्ता है जिसका वो उपयोग करता है । पत्रावली पर एक रिपोर्ट भी संलग्न है जो पटवारी हल्का बडौदिया कला के द्वारा दी गई है । इसमें यह कथन किया गया है कि मौके पर खसरा नम्बर 102 एंव 106 वर्तमान में पडत है, मौके पर रास्ता बन्द है । खसरा नम्बर 102 एवं 106 को जब यह खरीदे थे तब खसरा नम्बर 96, 98 और 97 की सीमा पर से खसरा नम्बर 106 पर पहुंचते थे और खसरा नम्बर 102 पर खसरा नम्बर 103, 107 और 106 की सीमा से होकर निकलते थे । पत्रावली पर जो फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार रामप्रकाश, ओमप्रकाश एवं सुरेन्द्र सिंह हैं और ओमप्रकाश अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में शेष सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है जब धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य है । इस प्रकार समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना अपीलान्ट प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । तद्नुसर अपीलान्ट प्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की जा

सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2019 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा